

हेड कुक संवर्ग में स्थानान्तरण समिति की अनुशंसा

हेड कुक डाईंग संवर्ग है एवं सभी अस्पतालों में इसके स्वीकृत पद शून्य है। अतः इस संवर्ग में कोई भी स्थानान्तरण से अस्पताल वार रिक्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

AGT-2025 के तहत उक्त पद में प्राप्त स्थानान्तरण अनुरोध पर समिति द्वारा कर्मचारी वार की गयी विचारणा निम्नानुसार है :-

1. संगीता हिमांशु पटनि:

(a) कर्मचारी ने अपने वर्तमान तैनाती स्थल क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर में दस साल की सेवा पूर्ण कर ली है। अतः मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार उक्त कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में आते है।

(b) कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में कोई भी स्थानान्तरण अनुरोध नहीं किया गया है।

(c) क.रा.बी.नि. वापी एवं अंकलेश्वर अस्पताल में रसोई घर कार्यरत नहीं है।

सिफारिश: कर्मचारी को क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर से क.रा.बी.नि. नरोडा अस्पताल में जनहित में स्थानांतरित किया जा सकता है।

2. जितेन्द्र कालिदास पटनि:

(a) कर्मचारी ने अपने वर्तमान तैनाती स्थल क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर में दस साल की सेवा पूर्ण कर ली है। अतः मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार उक्त कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में आते है।

(b) कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में सिर्फ क.रा.बी.नि. नरोडा अस्पताल के लिए स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।

(c) क.रा.बी.नि. वापी एवं अंकलेश्वर अस्पताल में रसोई घर कार्यरत नहीं है।

सिफारिश: कर्मचारी को क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर से क.रा.बी.नि. नरोडा अस्पताल में जनहित में स्थानांतरित किया जा सकता है।

3. अम्बालाल सरदारजी ठाकोर:

- a. कर्मचारी वर्तमान में क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर में दिनांक 01.04.2019 से तैनात है ।
- b. AGT 2025 के कटऑफ दिनांक 01.04.2024 के अनुसार कर्मचारी के वर्तमान अस्पताल में 5 साल हुए है । अतः मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति के पैरा 4b के अनुसार कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है । परन्तु

(i) कर्मचारी द्वारा AGT 2025 में स्थानांतरण हेतु **पहला विकल्प क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर एवं दूसरा विकल्प क.रा.बी.नि. अस्पताल नरोडा** दिया गया है । कर्मचारी द्वारा AGT 2024 में उनका स्थानांतरण अंकलेश्वर अस्पताल से अहमदाबाद न होने पर ग्रीवांस डाला था । ग्रीवांस रेड्रेसल कमिटी ने "अनुसंशा एवं सक्षम प्राधिकारी के सकारण आदेश में कोई अनियमिता नहीं पाई " यह निर्णय लिया था । इसके बाद MC(MA) ने ग्रीवांस रिड्रेसल समिति की रिपोर्ट को रिव्यू करके मिसिल संख्या 37.A.22.17.Grievances.2024-Med(A) के नोट144 पे लिखा था की "कृपया जाँच करें क्योंकि नोटिंग में कहा गया है कि रसोई वर्तमान में काम नहीं कर रही है। स्थानांतरण समिति ने बापूनगर स्थानांतरण की सिफ़ारिश की है, हालाँकि ई-फ़ाइल में हेड कुक के स्थानांतरण का कोई आदेश संलग्न नहीं है।" उसके पश्चात फिरसे ग्रीवांस रिड्रेसल समिति ने निर्णय लिया की श्री अंबालाल ठाकोर नियमित डायटीशियन के कार्यभार ग्रहण करने तक या अगली एजीटी (2025), जो भी पहले हो, तब तक कार्यभार संभालते रहेंगे" ।

(ii) ऊपर दिए गए पैरा (1) एवं (2) के अनुसार दो हेडकुक को बापूनगर अस्पताल से नरोडा अस्पताल अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत स्थानांतरित किया जाना है । जिसके कारण बापूनगर अस्पताल में दो हेडकुक की कमी हो जाएगी ।

(iii) बापूनगर अस्पताल में आईपीडी एवं ओपीडी की द्रष्टि से वर्कलोड काफी ज्यादा है तथा स्थानान्तरण निति के पैरा 2 (a, b, d & e) के अनुसार IP को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण बापूनगर अस्पताल में किया जा सकता है ।

सिफारिश: कर्मचारी को क.रा.बी.नि. अस्पताल अंकलेश्वर से क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल बापूनगर में उनके निवेदन अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है ।

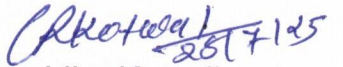
- यह पद सेंसिटिव नहीं है अतः इस पद पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी को एक ही चिकित्सा संस्थान में तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण करने की आवश्यकता नहीं है ।
- दिनांक 28.12.2024 की स्थानान्तरण निति C.No.: 779649 File No.: Z-11/11/1/Misc/2021-Med.VI-Part(3) के अनुसार किसी अन्य कर्मचारी

के एक ही संस्थान में दस साल पूर्ण नहीं होते है, अतः कोई भी कर्मचारी अनिवार्य स्थानान्तरण(Mandatory Transfer) के अंतर्गत नहीं आता है।

- उपरोक्त के अलावा, उक्त संवर्ग में AGT-2025 के तहत अन्य किसी कर्मचारी से स्थानान्तरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुए है।


(Dr. Akhilesh Jain)
(Chairperson)

(Dr. Paresh Acharya)
(Member)


(Smt. Chandrika Kotval)
(Member)